(51)

समक्ष :- न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी क्र. /2018

निगरानी-4035/2018/बैतूल/भू.रा.

1. सुन्दरलाल सुर्यवंशी, आयु-लगभग 61 वर्ष, पिता-स्व.रामपत सूर्यवंशी, जाति - किराड़, निवासी - अवस्थी कॉम्प्लेक्स के पीछे, कॉलेज रोड बैतूल, तह. व जिला-बैतूल (म.प्र.)

2. राजा सूर्यवंशी, आयु-लगभग 32 वर्ष, पिता-सुन्दरलाल सुर्यवंशी, जाति - किराड़, निवासी - अवस्थी कॉम्प्लेक्स के पीछे, कॉलेज रोड बैतूल, तह. व जिला-बैतूल (म.प्र.)

श्री .... द्वारा आज दि० 2-7-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10-7-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-7-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

......निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा अपर कलेक्टर बैतूल, तहसील व जिला-बैतूल (म.प्र.)

2. तहसीलदार बैतूल, तहसील व जिला-बैतूल

.... गैरनिगरानीकर्तागण

अभ्यावेदन / निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959:-

निगरानीकर्तागणों की ओर से निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है :-

उक्त निगरानी कार्यालय कलेक्टर बैतूल की ओर से अपर कलेक्टर बैतूल के द्वारा तहसीलदार बैतूल को प्रेषित पत्र क्र. 50208 बैतूल दिनांक 24.04.2018 **(एनेक्सर ए-1)**, एवं कार्यालय कलेक्टर बैतूल के पत्र क्र. 5183 बैतूल दिनांक 27.04.2018- **(एनेक्सर ए-2),** एवं अपर कलेक्टर बैतूल के द्वारा पारित आदेश पत्रिका दिनांक 08.05.2018 **(एनेक्सर ए-3)**, सहित न्यायालय तहसीलदार बैतूल के समक्ष लम्बित रा.मा.क्र. 0039/अ-68 वर्ष 2017-18 में पारित आदेश पत्रिका दिनांक 10.05.2018 सहित अन्य आदेश पत्रिकाएं **(एनेक्सर ए-4)** से क्षुब्ध होकर माननीय मण्डल के समक्ष उपरोक्त अभ्यावेदन/निगरानी विधिवत सुनवाई हेतु प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी **4035**/2018/बैतूल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार ने आदेशिका दिनांक 10-5-18 द्वारा आवेदक पक्ष के विरूद्ध उनके न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में अपर कलेक्टर के पत्र दिनांक 24-4-18 के अनुसार प्रकरण संलग्न किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	